न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 388/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कानसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. गणपतसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. मगलसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. मोकलकंवर पुत्र भंवरसिंह 5. श्यामसिंह पुत्र भंवरसिंह समस्त जातियान राजपूत, निवासी-- ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जालोर		1. मैनादेवी पुत्री स्व0 टीकूराम (रेस्पाडेन्ट के कथनानुसार) जति राजपूत, निवासी ग्राम बिनावास, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत बिनावास, तह0 बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा दिनांक 26.10.2021 राजस्व प्रथम अपील संख्या 07/2020 अनवान मैनादेवी बनाम सरपंच ग्रा0पं0 बिनावास वगैरा

उपस्थित–
1. श्री राजीव कुमार शर्मा, वकील अपीलाण्ट
2. श्री मदनलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय

दिनांक 25.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 07/2020 अनवान मैनादेवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बिनावास वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में पकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील बिलाड़ा स्थित ग्राम बिनावास के खसरा नं0 398 रकबा 34 बीघा भूमि, किस्म बारानी चतुर्थ एवं खसरा नं0 78 रकबा 24.06 बीघा भूमि, किस्म बारानी द्वितिय टिकूराम पुत्र रावतराम, कौम दरोगा सा0देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिसका फौतेदगी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 06.10.1983 भंवरसिंह पुत्र टीकूराम कौम दरोगा सा0देह खातेदार के नाम सरपंच ग्रा0पं0 बीनावास (बिलाडा) द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध मैनादेवी पुत्री स्व0 टीकूराम द्वारा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा (जोधपुर) के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील संख्या 07/2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 द्वारा स्वीकार कर, अपीलाधीन ना0क0सं0 276 निरस्त करते हुए तहसीलदार बिलाडा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि वा म्यूटेशन की मूल प्रति पर निरस्त का नोट अंकित करे तथा राजस्व ग्राम बीनावास के उल्लेखित खसनान की भूमि के संबंध में स्व0 टीकूराम के विधिक वारिसान/अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान बहस अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि रेस्पो0सं0 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि उल्लेखित खसरान की भूमि टीकूराम पुत्र रावतराम के नाम राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत् 2029–2035 में दर्ज थी। जिसको हडपने की नियत से प्रार्थीया के पिता के देहान्त के पश्चात भंवरसिंह ने जालसाजी एवं षडयंत्र पूर्वक वास्तविक तथ्य छुपाकर ना0क0सं0 276 दिनांक 6.10.1983 अपने नाम लडका होने का दर्ज करवा लिया गया, जो गलत एवं विधि विरूद्ध है। रेस्पा0सं0 ने उक्त अपील में अपने आपको मृतक टीकूराम की एक मात्र पुत्री होना बताया गया। जिसके जवाब में अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट किया कि टीकूराम की एक मात्र पुत्री ओमाकंवर पत्नी गोकुलसिंह, निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील जैताराण (जोधपुर) थी, जिसका देहान्त हो चुका है तथा ओमाकंवर के वारिसान में उसके पति व संताने आज भी जीवित है, जिसे रेस्पो0–अपीलांट–ओमाकंवर द्वारा छुपाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकारों का संयोजन नही किये जाने से प्रथम दृष्टया खारीज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

योग्य थी। टीकूराम का देहान्त वर्ष 1983 में हुआ था, जिससे पहले ओमाकंवर का विवाह इत्यादि टीकूराम एवं उनके गोदपुत्र भंवरसिंह द्वारा किया गया था तथा विवाह के समय औपचारिकताएं व हिस्सा ओमाकंवर को अपने जीवित रहते दिया गया था। अपीलांट्स के पति/पिता भंवरसिंह टीकूराम के गोद पुत्र होने की जानकारी भी पूरे समाज एवं ग्राम को पता थी तथा समाज एवं परिवार के सभी मौजिज व्यक्तियों व ओमाकंवर के समक्ष उक्त नामान्तरकरण सं0 276 दर्ज किया गया था। जिसे टीकूराम की मृत्यु के 37 वर्ष बाद रेस्पो0सं0 1–मैनादेवी द्वारा खुद को टीकूराम की फर्जी पुत्री होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गई, जिसमें स्वयं को टीकूराम की एक मात्र पुत्री होना बताया गया है। अतः ऐसा संभव नही है कि टीकूराम की स्वयं पुत्री को अपने पिता की जमीन जायदाद की जानकारी 37 वर्ष तक नही रही। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी।

इसके अलावा रेस्पो0 सं0 1–मैना देवी द्वारा उक्त कृषि भूमि को पुश्तैनी होना बताया है, जबकि उक्त कृषि भूमि स्वयं टीकूराम के कब्जे के आधार पर उनके नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानने से इंकार कर उक्त भूमि को पुश्तैनी होना बताते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। खसरा नं0 398 एवं खसरा नं0 78 की भूमि कानसिंह वगैरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मैना देवी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही जरिये पंजीबद्ध बेचाननामे के कई लोगों को बेचान की जा चुकी थी, जिनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मैनादेवी द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकार नही बनाये जाने से तथा उनके पक्ष में पारित नामान्तरकरण को चैलेन्ज किये बिना तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट्स द्वारा अपने कथनों के समर्थन में के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गये।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि रेस्पो0 सं0 1 स्व0 टीकूराम की जायंदा पुत्री है तथा टीकूराम की दूसरी जायंदा पुत्री ओमाकंवर है। ओमाकंवर का स्वर्गवार हो चुका है तथा उसके वारिसान उदयसिंह, सुखसिंह पुत्र व नाथीदेवी पुत्री है। जो तहसीलदार बिलाडा द्वारा नामान्तरकरण पुनः सुनवाई प्रकरण संख्या 08/2021 में हल्का पटवारी बीनावास की जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है। स्व0 टीकूराम के फौत हो जाने पर उनके दाह संस्कार व क्रियाकर्म का समस्त खर्चा रेस्पो0सं0 1 द्वारा वहन किया गयां। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पो0सं0 1 को नोटिस व सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही स्व0 टीकूराम के वारिसान के संबंध में कोई जॉच की गई। उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेस्पो0 सं0 1 व ओमाकंवर के नाम स्वीकृत होना चाहिए था, किंतु आपसी मिलीभगत से अपीलांट्स के पति/पिता भंवरसिंह को स्व0 टीकूराम का जायन्दा पुत्र बताते हुए उनके नाम दर्ज किया गया। रेस्पो0सं0 1 को इसकी प्रथम बार जानकारी 02.07.2020 को होने पर उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ विलंब को क्षमा करने हेतु धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार गुणावगुण पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। भंवरसिंह अन्नेसिंह का जांयदा पुत्र था, जिसे स्वयं अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मीमों के जवाब में स्वीकार किया है, जवाब के साथ गोद की लिखापढी की मूल प्रति पेश नही की गई, जिसके अभाव मे गोद का अनुमान नही लगाया जा सकता है। अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 2 से 6 गोद की लिखापढी के आधार पर घोषणा का वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है। नामांतरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें गोद जैसे जटिल प्रश्नों का निर्धारण नही किया जा सकता है। उक्त लिखापढी इस आधार पर संदेहपूर्ण है क्योकि अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में इस आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट्स– रेस्पो0सं0 2 से 6 द्वारा अपने पति/पिता के पक्ष में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 12.4.82 की फोटो प्रति पेश की गई, गोद की लिखापढी के बाद का है। विवादित कृषि भूमि पूर्व में रावतराम के नाम से थी तथा रावतराम ने टीकूराम को गोद लिया, इस प्रकार उक्त भूमि मृतक टीकूराम की पुश्तैनी भूमि होने से कानूनन उसे वसीयत का अधिकार नही था। वसीयत की प्रमाणिकता साबित करने हेतु नियमित वाद अथवा सिविल कोर्ट में अभिगम करना चाहिए। कानूनन पुत्रिया प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिन्हें घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक टीकूराम का फौतेदगी ना0क0सं0 276 निरस्त कर दिया गया है, अतः इसके पश्चातवर्ती ना0क0 स्वतः निरस्त योग्य है। मात्र तहसीलदार बिलाडा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय पारित करना शेष है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक भूल नही होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 से 6 के अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 व मौखिक/लिखित बहस के समर्थन में लिखित रूप से न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत नज़ीरों का अवलोकन कर मनन किया गया। जिसके आधार पर हम इस नतीजे पर पंहुचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

25/04/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर